न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

विविध वाद संख्या-57/2022

बलराम सिंह वगैरह

बनाम्

अनील सोनी वगैरह

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदकगण बलराम सिंह व जयराम सिंह, ग्राम–बभण्डीह थाना–बरवाडीह, जिला–लातेहार के द्वारा स्व0 लालमुनी कुंवर के नाम से आर0एस खाता नं0–07 आर0एस0 प्लॉट नं0–06 रकबा–0.63 एकड़ अवैध डिमाण्ड को रद्द कर आवेदकगण के नाम पुनर्बहाल करने हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक मे प्रारम्भ किया गया।

आवेदकगण के द्वारा आवेदन में अंकित है कि आवेदकगण के पिता–स्व0 कवलधारी सिंह के द्वारा वर्ष 1958 में दिनांक 11.06.1958 को सी0एस0 खाता संख्या–25 प्लाट नं0–04 रकबा–0.85 एकड़ जमीन को स्व0 नेमीचरण साहु से खरीदा गया था। भूमि का विधिवत् नामान्तरण किया गया और स्व0 कवलधारी सिंह के नाम लगान रसीद निर्गत होने लगा और तब से क्रेता का उसपर शांतिपूर्ण दखल कब्जा कर लिया गया। स्व0 कवलधारी सिंह की मृत्यु के पश्चात् आवेदकगण का साथ–साथ प्रश्नगत भूमि पर संयुक्त कब्जा हुआ और आवासीय घरो के साथ–साथ भूमि पर पी0एम0 आवास एवं इन्दरा आवास बनाए तथा सागवान एवं गम्हार का बहुमूल्य पौधों को लगाये। लालमूनी कुंवर एवं उनके पुत्रों का इस भूमि से कभी भी कोई सरोकार नहीं रहा। नया खतियान प्रकाशन के पश्चात् सी0एस0 खाता संख्या–25 का आर0एस0 खाता संख्या–06 सी0एस0 प्लॉट नं0–04 का आर0एस0 प्लॉट नं0–07 बना जो

आवेदकगण के पिता कवलधारी सिंह के नाम से और रकबा 0.85 एकड़ से दो प्लॉट आर0एस0 प्लॉट नं0–07, प्लॉट नं0–06 रकबा–0.84 एकड़ एवं आर0एस0 खाता नं0–07, प्लॉट नं0–07 रकबा–0.10 एकड़ बना। अचानक कवलधारी सिंह के डिमाण्ड खाता संख्या–07, प्लॉट नं0–06 से रकबा 0.63 एकड़ घटाकर 0.74–0.63= 0.11 एकड़ का अंचल अधिकारी, बरवाडीह के द्वारा बिना आम इस्तेहार के ऑनलाईन रसीद जारी कर दिया गया। आवेदकगण को दिनांक 04.03.2022 को पता चला की स्व0 लालमुनी कुंवर पति–स्व0 मुनेश्वर लाल के नाम से लगान रसीद निर्गत हो गया, जो गलत है। लालमुनी कुंवर के नाम निर्गत लगान रसीद को रद्द कर आवेदकगण के पिता– स्व0 कवलधारी सिंह के पक्ष में लगान रसीद कायम किया जाय। अंचल अधिकारी, बरवाडीह द्वारा गलत अवैध एवं असंवैधानिक रूप से यह डिमाण्ड खोला गया है। इसलिए स्व0 लालमुनी कुंवर के नाम से आर0एस0 खाता नं0–07 आर0एस0 प्लॉट नं0–06 रकबा–0.63 एकड़ का डिमाण्ड को रद्द कर आवेदकगण के पिता स्व0 कवलधारी सिंह के नाम डिमाण्ड को Restore किया गया।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वाद संख्या–57/2022 ग्राम–बभण्डीह, थाना–बरवाडीह, जिला–लातेहार के सी0एस0 खाता संख्या–25, प्लॉट संख्या–04 कुल रकबा–0.85 एकड़ में से रकबा–0.63 एकड़ जिसका नया खाता संख्या–07, प्लॉट संख्या–06, रकबा–0.74 एकड़ में से 0.63 एकड़ संबंधित है। उपरोक्त वाद में वर्णित विवादित भूमि सम्मिलात खतियानी रैयत डोमन साव एवं तुफानी साव थे। दोनों के मृत्यु के बाद उनके वारिसान सम्मिलात रूप से दखलकार हुए। आवेदकगण ने सही तथ्य को छुपाकर यह मुकदमा न्यायालय में लाया है, जिसे लाने का आवेदक को कोई भी हक एवं अधिकार नहीं बनता है। आवेदक के पूर्वज ने जालसाजी के तहत् अन्य भागीदार को बिना सूचित किए एवं बिना सहमति के तथा भागीदारों के बीच बिना बंटवारा के एक भागीदार नेमी चरण साव से खाता संख्या–25, प्लॉट संख्या–4 का सम्पूर्ण रकबा–0.85 एकड़ जमीन खरीदकर लिया, इसलिए केवाला

का कोई मान्यता नहीं है। सम्मिलात खतियानी रैयत का वंशावली निम्न है :–

वंशावली

डोमन साव

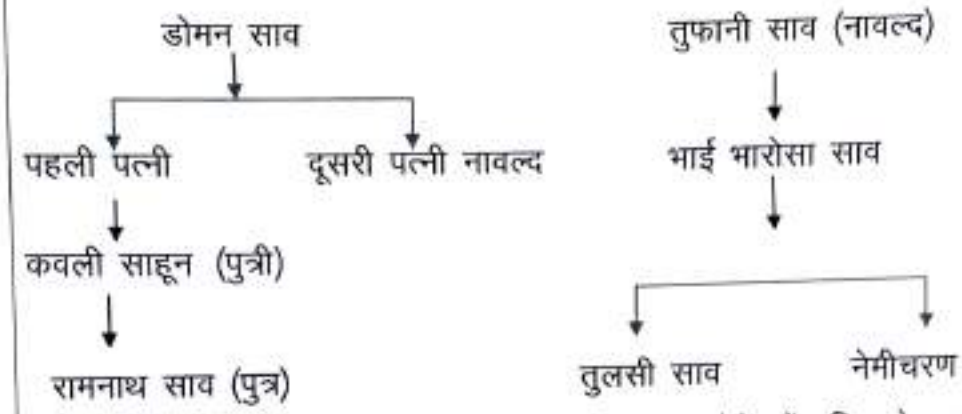

पहली पत्नी — दूसरी पत्नी नावल्द

पहली पत्नी → कवली साहून (पुत्री) → रामनाथ साव (पुत्र)

तुफानी साव (नावल्द) → भाई भारोसा साव → तुलसी साव, नेमीचरण साव

इस प्रकार सम्मिलात में चार भागीदार होते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक भागीदार को 1/4 एक चौथाई हिस्सा बनता है। विपक्षी के माताजी लालमनी कुंवर ने सन् 1961 ई0 में केवाला संख्या–3705, दिनांक 11/08/1961 द्वारा खाता संख्या–25 के प्लॉट 4 एवं अन्य में कुल–22 प्लॉटों में एक भागीदार तुलसी साव से 1/4 खरीद किया एवं केवाला संख्या–6709 दिनांक 26/08/1977 ई0 को रामनाथ साव एवं कवली साहुन से खाता संख्या–25 प्लॉट संख्या–4 एवं अन्य कुल–17 प्लॉट में से 1/4 हिस्सा लालमनी कुंवर ने प्राप्त किया तथा केवाला संख्या–6711 दिनांक 26/08/1977 ई0 के द्वारा लालमनी कुंवर ने रामनाथ साव एवं कवली साहुन से खाता संख्या–25, प्लॉट संख्या–4 एवं अन्य कुल–17 प्लॉट में से1/4 हिस्सा खरीद किया एवं दखलकार हुए। इस प्रकार प्रतिपक्षीगण को कुल रकबा का 3/4 भाग का हक–हकियत प्राप्त हुआ। कुछ समय व्यतित होन के बाद दोनों पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, तब विपक्षी की माता जी लालमीन कुंवर द्वारा न्यायालय सब जज, पलामू डाल्टनगंज में एक बंटवारा वाद दाखिल किया, जिसका वाद संख्या–पी0एस0 111/1981 था। वाद संख्या पी0एस0 111/1981 में सभी पक्षों को सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय सब जज, पलामू डाल्टनगंज के द्वारा दिनांक 23/02/1985 को आदेश पारित किया गया, जो वादी के पक्ष में हुआ, तथा अधिवक्ता कमिश्नर की बहाली कर तख्ताबन्दी करने को दिया गया। इसके उपरान्त अधिवक्ता कमिशनर द्वारा तख्ताबन्दी कर दिनांक 27.07.1987 को न्यायालय में समर्पित किया। विदित हो कि इसके उपरान्त

आवेदकगण अपील में गये। जहां से आवेदकगण का अपील खारिज हो गया। पुनः न्यायालय सब जज के यहां से फाईनल डिग्री बना तथा वादी/विपक्षीगण को केवाला के आधार पर तख्ता–1 (एक) लालमनी कुंवर के नाम से बनकर मिला, जिसमें खाता संख्या–25 प्लॉट संख्या–4 रकबा–0.85 एकड़ भूमि में से 0.$63\frac{3}{4}$ एकड़ भूमि लालमनी कुंवर को प्राप्त है, जो विपक्षी की माता जी थी। तख्ता संख्या–2 (दो) दुर्गा देवी वगैरह को प्राप्त हुआ एवं तख्ता संख्या–3 (तीन) कवलधारी सिंह जो आवेदक के पिता थे, को प्राप्त हुआ, जिसमें खाता संख्या–25, प्लॉट संख्या–4 कुल–0.85 एकड़ में से 0.$21\frac{1}{4}$ एकड़ प्राप्त हुआ। विपक्षी संख्या–01 से 05 के द्वारा अंचल बरवाडीह में एक आवेदन नामांतरण हेतु व्यवहार न्यायालय के पारित आदेश एवं तख्ताबंदी के आलोक में दाखिल किया। अंचल अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त मोकदमा संख्या–103/2020–21 प्रारम्भ हुआ, जिसमें आम इस्तहार निर्गत किया गया, जिसे चौकीदार द्वारा तामीला कराया गया। निर्धारित तिथि तक किसी के तरफ से आपति नहीं होने के बाद कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षण से जांच प्रतिवेदन की मांग की। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद अंचल पदाधिकारी, बरवाडीह ने नामान्तरण हेतु आदेश पारित किया गया, तथा लालमनी कुंवर के नाम से मांग कायम किया गया, तथा सुद्धी पत्र निर्गत किया गया। मांग कायम होने के बाद सरकार के सिरिस्ते में मालगुजारी अदा कर रसीद प्राप्त किये। राजस्व विविध वाद संख्या–57/2022 में आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन तथ्यों के विपरित है, आवेदक द्वारा लगाया गया आरोप सरासर गलत एवं नाजायज है, अंचल अधिकारी, बरवाडीह के द्वारा पूर्ण रूप से वैधानिक निरीक्षण एवं जांचोपरान्त व्यवहार न्यायालय के द्वारा गिर्गत आदेश के आलोक में सही रूप से आवेदक के मांग से घटाकर विपक्षी का मांग कायम किया है, जो कानून की दृष्टि में न्याय संगत है। आवेदक द्वारा तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को गुमराह करने की मंशा से यह वाद लाया गया है, जिसे खारिज किया जाय।

अंचल अधिकारी, बरवाडीह के पत्रांक 231 दिनांक 16.08.2022 के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि मामला मौजा बभण्डीह थाना नं0–33, थाना–बरवाडीह में आर0एस0 खाता नं0–7, प्लॉट नं0–6 रकबा–0.63

एकड़ को लेकर दायर किया गया है। वादी बलराम सिंह वगैरह की जाति चेरो (आदिवासी) है एवं प्रतिवादी अनिल सोनी वगैरह की जाति सोनार (पिछड़ा वर्ग) है। यह भी उल्लेखनीय है कि लातेहार जिला अनुसूचित क्षेत्र है और इस नाते संबंधित भूमि अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जहां Scheduled Area Regulation Act 1969 प्रभावी है। उक्त भूमि वादीगण के पिता कवलधारी सिंह के नाम से निबंधित केवाला नं0-3157 दिनांक 11.06.1958 के द्वारा प्राप्त है। विक्रेता नेमीचरण साव जो होल्डींग में चार आना के हिस्सेदार थे उसमें 0.85 एकड़ भूमि खरीदा गया था। नेमीचरण साव ने बिक्री के पश्चात् स्वामित्व और दखल कब्जा क्रेता कवलधारी सिंह को सौंप दिया जिसके बाद नामान्तरण वाद संख्या-39/1958-59 के द्वारा नामन्तरण हुआ और पंजी-II के होल्डिंग नं0-39 पर वर्ष 58-59 में मांग कायम हुआ। खरिदगी तिथि के बाद से लगातार कवलधारी सिंह के पक्ष में लगान रसीद निर्गत होता रहा। बाद में अधिसूचना संख्या- एस0ओ0 1985 दिनांक 12.12.1976 के आलोक में जमीन का रिविजनल सर्वे हुआ जिसमें क्रेता कवलधारी सिंह के नाम से ही भूमि का काएमी खाता कायम करते हुए सर्वे खतियान में नाम दर्ज कर दिया गया। खरीदगी तिथि से ही वादी का जमीन पर शान्तिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के पिता ने इसपर मकान मय सहन एवं कूप निर्माण किया एवं इसपर वृक्ष लगाए गए। वर्तमान में भी इस जमीन पर वादीगण का दखल कब्जा है। दिनांक 27.01. 1989 को प्रतिवादीगण अनिल सोनी वगैरह ने पार्टीशन सूट संख्या-111/1981 में फैसला हासिल किया जिसमें कोर्ट ने अमीन कमीश्नर के द्वारा किए गए तख्ताबंदी को Confirm कर दिया, जिसमें वादीगण के द्वारा खरीदे गए 0.85 एकड़ भूमि में से $0.63\frac{3}{4}$ एकड़ भूमि को प्रतिवादीगण के तख्ता में शामिल कर दिया गया। इसी पार्टीशन सूट के आलोक में दिनांक 02.11.2020 को अंचल कार्यालय बरवाडीह में जमाबंदी कायम करने हेतु प्रतिवादीगण के द्वारा आवेदन दिया गया, जिस पर विविध वाद संख्या-103/20-21 चलाया गया। दिनांक 17.11.2020 को कवलधारी सिंह के नाम से चल रहे जमाबंदी से घटाकर प्रतिवादीगण की माता स्व0 लालमनी कुंवर के नाम से जमाबंदी कायम करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार बरवाडीह अंचल में वादी के जमाबंदी से

0.63 एकड़ भूमि घट गया और प्रतिवादीगण की माता स्व0 लालमनी कुंवर के नाम से जमाबंदी कायम हुआ। उक्त कार्रवाई राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन, अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा एवं माननीय न्यायालय के द्वारा पार्टीशन सूट में दिये गए आदेश के अवलोकन एवं अनुशीलन के आधार पर की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना, अंचल अधिकारी, बरवाडीह का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख के दस्तावेजों का अवलोकन किया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सी0एस0 खाता नं0–25, प्लॉट नं0–4, रकबा–0.85 एकड़ का बंटवारा वाद संख्या–111/1981 में सब जज, पलामू डाल्टनगंज के न्यायालय के द्वारा केवाला के आधार पर तख्ताबंदी कर बंटवारा का आदेश पारित किया गया। जिसमें प्रश्नगत भूमि का 3/4 हिस्सा रकबा $0.63\frac{3}{4}$ एकड़ विपक्षी की माता लालमनी कुंवर तथा 1/4 हिस्सा रकबा $0.21\frac{1}{4}$ एकड़ अपीलार्थी के पिता–कवलधारी सिंह के नाम पर बंटवारा हुआ। प्रश्नगत भूमि के आर0एस0 खाता नं0–07, प्लॉट नं0–6 रकबा 0.74 एकड़ में से रकबा–0.63 एकड़ विपक्षीगण के नाम अंचल अधिकारी, बरवाडीह के द्वारा म्यूटेशन वाद संख्या–103/2020–21 से सब जज पलामू डाल्टनगंज के न्यायालय बंटवारा वाद संख्या–111/1981 में पारित आदेश के आलोक में म्युटेशन किया गया है।

अतः आवेदक के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तथा म्यूटेशन वाद संख्या–103/2020–21 के माध्यम से प्रश्नगत भूमि का अंचल अधिकारी, बरवाडीह के द्वारा निष्पादित म्यूटेशन को बहाल रखा जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

10/06/23

उपायुक्त,
लातेहार।

10/06/23

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHORI SINGH YADAV
Date: 2023.06.10 17:42:54 +05:30
Location: 10.93.47.5